DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ44(11)आयो/कम्प्यू/91/PT-3/05413/2021 जयपुर, दिनांक : 31/12/2021

आदेश

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला कार्यालयों एवं ब्लॉक (यथा पंचायत समिति/नगरपालिका टॉउन) कार्यालयों में राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा संवर्ग (सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक) के कार्यरत कार्मिकों की अवकाश के दिनों में विडियों क्रॉन्फेंसिंग (VC) संचालन हेतु ड्यूटी लगाने की स्थिति में निम्नानुसार डे ऑफ (Day off) स्वीकृत किया जावेगाः–

1. दो राजपत्रित अवकाशों/साप्ताहिक अवकाशों पर कार्य करने की क्षतिपूर्ति के रूप में एक दिन का डे ऑफ देय होगा।
2. ये डे ऑफ यदि एक माह में नहीं लिये गये तो आगामी माह में नहीं लिए जा सकेंगे।

अवकाश के दिनों में कार्मिक की उपस्थिति कार्यालयाध्यक्ष के पूर्व लिखित आदेश के अधीन होने पर ही डे ऑफ स्वीकृत किया जा सकेगा।

उक्त प्रक्रिया अन्य किसी संवर्ग यथा मंत्रालयिक संवर्ग व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं राजपत्रित संवर्ग पर लागू नहीं होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुनील छाबड़ा)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
4. प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव